बउनवान आरा० शोध एवं विकास संस्था बनाम कान्ता प्रसाद वगैरह
धारा 53, 88, 89, 188 RTA मुकदमा नं. 55/2023 ऑनलाईन नं. 2023/70

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
18/06/25	पत्रावली पेश हुई। बहस प्रा0पत्र अन्तर्गत सीपीसी आदेश 7 नियम 11 सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रतिवादी ने प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 02.06.2015 के प्रारम्भतः शून्य एवं अवैध होने के आधार पर वाद खारिज करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2012 **DNJ (SC) 764** स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम आंजनिय ऑर्जेनिक हर्बल प्राईवेट लिमिटेड पेश किया। वकील वादी द्वारा जवाब प्रा0 पत्र आदेश 7 नियम 11 के तथ्यों को दौहराते हुए प्रा0 पत्र खारिज किए जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि वादगत आराजी मूल रूप से कान्ता प्रसाद पुत्र बाबूलाल जाति मीणा की खातेदारी में दर्ज है। रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 02.06.2015 के द्वारा वादगत आराजी का हस्तान्तरण आराधना शोध एवं विकास संस्था इटावा को किया गया। यहां राजस्थान टीनेसी एक्ट 1955 की धारा 42 का उल्लेख किया जाना उचित होगा जो निम्न प्रकार हैः– 42. General restrictions on sale, gift and bequest— The sale, gift or bequest by a Khatedar tenants of his interest in the whole or part of his holding shall be void, if — (a) Omitted. (b) such sale, gift or bequest is by a	

Ramniwas
सहायक कलक्टर
इटावा जि0 कोटा (राज0)

बउनवान ...अराजन्ता शोध एवं विकास संस्था..... बनाम .....गीता आप प्रसाद.....

धारा ....13, 88, 89, 188 RTA.... मुकदमा नं. .....55/2023....... ऑनलाईन नं. ..20..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व हुक्म की
	number of Scheduled Caste in favour of a person who is not a member of the Scheduled Caste, or by a member of a Scheduled Tribe in favour of a person who in not a member of the Scheduled Tribe. [(bb) such sale, gift or bequest, notwithstanding anything contained in clause (b), is by a member of Saharia Scheduled Tribe in favour of a person who is not a member of the said Saharia tribe.] (c) Omitted. 2142A. Omitted. 2242B. Declaration as valid of sale, gift and bequest— Where any sale, gift or holding before the commencement of the Rajasthan Tenancy (Second Amendment) Act, 1992 Act No. 22 of 1992 was void on account of contravention of any of the provisions of clause (a) of section 42, as it stood before the said amendment Act of 1992, such sale, gift or bequest may be declared to be valid by the Collector or any officer or authority empowered by the State Government in this behalf on an application made to him or it within such time and in such manner and on payment of such fee and penalty as may be prescribed: Provided that- (a) - such sale, sift or bequest was otherwise legally valid and in conformity with the provisions of the laws for the time being in force except those contained in clause (a) of section 42 as aforesaid: (b) the parties to the	

Ramniwas
सहायक कलक्टर
(राज०)

आराधना शोध एवं विकास संस्था ...... बनाम ...कालू प्रसाद आदि..........

89, 188 BTA ...... मुकदमा नं. ......55/2022...... ऑनलाईन नं. ......2023/20......

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
sale, or bequest comply with all the terms and conditiOns as may be prescribed by the rules or by any special or general order: (c) the payment is -made of such premium or penalty as may be prescribed: (d) the applicant undertakes to pay urban assessment levied at such rate and in accordance with such manner as may be prescribed. आरटीए 1955 की धारा 42 बी में प्रावधान है कि भूमि जो अनुसूचित जनजाति की खातेदारी में दर्ज है वह केवल अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही हस्तान्तरित हो सकती है। अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि अगर गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को हस्तान्तरित होती है तो ऐसा हस्तान्तरण अवैध माना जाएगा। वर्तमान वाद के संदर्भ में आराधना शोध एवं विकास संस्था इटावा गैर अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आने के कारण दान पत्र दिनांक 02.06.2015 धारा 42 बी का उल्लघन करता है। इसलिए आराधना भोध एवं विकास संस्था इटावा के नाम वादगत आराजी का नामान्तरकरण विधि द्वारा वर्जित होने से प्रतिबंधित है। इन तथ्यों को मध्यनजर प्रतिवादी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत सीपीसी आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किया जाता है तथा वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। Ramnivas सहायक कलक्टर इटावा जि0 कोटा (राज0)	

धारा ......53, 88, 89, 188 RTA... मुकदमा नं. .....55/2023.... ऑनलाईन नं. 2023...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व हुक्म की
	चूकि दान पत्र दिनांक 02.06.2015 से धारा 42 बी का उल्लघन हुआ है, अतः अवैध हस्तान्तरण की श्रेणी में आने के कारण आरटीए 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। इस हेतु तहसीलदार पीपल्दा को पुनः पत्र प्रेषित कर अलग से प्रकरण अन्तर्गत धारा 175 आरटीए 1955 बनाकर प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे। पत्रावली इसी स्तर पर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/06/25 को सरे इजलास सुनाया गया। Ramniwas सहायक कलक्टर इटावा जि० कोटा (राज०)	

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
55/2023	19/06/2023	18/06/2025

आराधना शोध एवं विकास संस्थ इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान जरिए अध्यक्ष ओकेन्द्र चौधरी पुत्र रामकरण चौधरी जाति जाट निवासी बोरखेडा हाल निवास इटावा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।

वादी

बनाम

1. कान्ता प्रसाद पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. गिरिराज मीणा पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पीपल्दा कार्यालय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः–18/06/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री विकास पारेता एड0 एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू कमल कुमार बंसल एड0 मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 18/6/25 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

Ramniwas

सहायक कलक्टर

इटावा जिला कोटा (राज0)